

28 ¹⁰/₂₂

पत्रावली मूलवाद के साथ परेशान
वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवेज
लगावन के आवेज साथ 5:00 बजे
तक वादी एवं वादी वकील में से
कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद अदम हाजरी एवं अदम परी
में श्यारिज हो चुका है। मूलवाद का
निकतारण हो जाने के कारण अर्थात्
पत्र 212 RT Act का कोर ऑपिल
नहीं रहना है। अतः अर्थात् पत्र
212 RT Act की अपवादी रूप
की जाती है। पत्रावली के साथ
सुमार हाकर रिप्लर में रुमा
की जाये। तिलग्न मूलवाद है।

500